न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 17 / 2023

अनवान : –

1. रविनाथ चेला छोदुनाथ जाति नाथ साकिन डेरा जोगीआसन तहसील नोहर जरिये मुख्त्यारआम किरसन कुमार पुत्र महावीर सिंह जाति जाट निवासी वार्ड सं. 04 दलपतपुरा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़। – सायल

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर। – गैरसायाल

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– 1. श्री मदन मोहन जोशी अधिवक्ता सायल

दिनांक: 09/07/2025

निर्णय

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है की प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारां 212 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा चक जोगीआसन तहसील नोहर के ख.न. 1 ता 35 की 736 बीघा 13 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जो पीर नवलनाथ चेला पीर अरजन नाथ व पीर पूरननाथ चेला नेमनाथ कौम नाथ की स्व. अर्जित भूमि थी उक्त भूमि माफी की भूमि थी जो डेरा जोगीआसन में धमार्थ साधु–सन्तो के लिए पूजा अर्चना की सामग्री हेतु व डेरे की मरम्मत व्यवस्था आदि हेतु उक्त भूमि की आय से की जाती थी। उक्त भूमि उनके फौत होने पर सायल के मौरूसान पीर छोटूनाथ चेला पीर नवलनाथ व पीर पूरननाथ चेला नेमनाथ के दर्ज हुई उक्त भूमि के वे खातेदार काश्तकार थे।

रोही मौजा चक जोगीआसन तहसील नोहर के खाता सं. 53 की 10 बिस्वा ख.न. 54 की 8 बिस्वा कुल 8 बिस्वा भूमि जो साबिका ख.न. 27 मीन से तब्दील व पैमुद हुई है। उक्त भूमि सायल के गुरू व मीरूसान छोदुनाथ चेला पीर नवलनाथ के नाम से पूर्व में दर्ज रही तथा इससे पूर्व उनके गुरू पीर नवलनाथ चेला पीर अरजननाथ व पूरननाथ चेला नेमनाथ की नाम दर्ज रही है। अर्थात सायल के पूर्वजो की अर्जित भूमि है जिसमें साबिका ख.न. 27 मीन की 18 बिस्वा भूमि रोही मौजा चक जोगीआसन में स्थित थी परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग गत पैमाईश में उक्त भूमि के हाल ख.न. 54 की 8 बिस्वा भूमि गै.मु. श्मशान के नाम दर्ज कर दी तथा ख.न. 53 की 10 बिस्वा मोडिया वल्द रावता कौम रेगर के नाम दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबन्धक विभाग को केवल पुरानी प्रविष्टी का ही इन्द्राजात किया जाना था भू–प्रबन्धक विभाग को उक्त इन्द्राजात को तस्दीक किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। चूंकि ख.न. 53 की 0.1270 हैक्टर भूमि सेटलमेन्ट विभाग से अपने नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवा ली जिसका नाम बाद में कलमजन करके गै. मु. श्मशान दर्ज कर दिया। जबकि वादग्रस्त भूमि सायल की पैतृक भूमि है तथा हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसका सायल [illegible] खातेदार काश्तकार है। इसलिए सायल

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:24:29 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

रोही मौजा चक जोगीआसन के ख.न. 53 की 0.1270 हैक्टर भूमि ख.न. 54 से 0.2910 हैक्टर भूमि गै.मु. शमशान कलमजन करवाकर अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। उपरोक्त आशयों की सायल घोषणा करापाने का अधिकारी है।

वाद भूमि गैरसायल सं. 1 व गै.मु. शमशन दर्ज रहने से गैरसायल सं. 1 सायल को वाद भूमि से बेदखल कराने पर आमादा है सायल ने छोटे–छोटे बछड़ो के लिए उक्त भूमि में हरा चारा काश्त कर रखा है तथा उक्त भूमि के कंटिली बाड़ बनाकर उनको हरा चारा खिलाता है था उक्त भूमि में झोपड़ी भी बना रखी है तथा आवारा गायों की बच्चो की देखभाल हेतु सायल ने उक्त भूमि में हरा चारा काश्त कर रखा है परन्तु गैरसायल सं. 1 सायल को बेदखल करने पर आमादा है तथा रिकार्ड में परिवर्तन करने पर आमादा है। यदि गैरसायल अपने उपरोक्त मकसद में कामयाब हो जाते है तो सायल को अपूर्णीय क्षति होती है तथा सायल के द्वारा पाले गये गायों के बच्चो भूखे कर जावेगे इसके अतिरिक्त सायल की धार्मिक भावना आहत होती है तथा सायल अपने पूर्वजो की मौसरी से महरूम होता है जो उनको माफी में मिली थी इसलिए सायल गैरसायल को पाबन्द करा पाने का मजाज है कि वो सायल की कब्जा काश्त में मदाखलत बेजा ना करे तथा रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाऐ रखे उपरोक्त आशयों की सायल अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करापाने का मजाज है। लिहाजा यह प्रार्थना–पत्र मय हल्फनामा सायल पेश कर निवेदन है कि ताफैसला दावा गैरसायलान के खिलाफ इस अमर की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमावे कि रोही मौजा चक जोगीआसन के ख.न. 53 की 0.1270 हैक्टर भूमि ख.न. 54 से 0.2910 हैक्टर भूमि से सायल को गैरसायल बेदखल करने से निषिद्ध रहे है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। मेघवाल समाज कल्याण भूमि जरिये अध्यक्ष सुभाष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर द्वारा प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया की शमशान भूमि में मेघवाल समाज व अन्य समाज के लोग अपने पूर्वजो का दाहसंस्कार करते चले आ रहे जिसमें पूरानी समाद्धियो का पक्का निर्माण हुआ है ओर जिसपर सेकडो वर्षों से र्निबाधित रूप से दाहसंस्कार करते चले आ रहे है ओर समय–समय पर अपने पूर्वजो की समाद्धियो पितृ दिवस में पुजा आदि की रस्मो को सम्पन्न करते चले आ रहे है जिन्हे पितृ देवता की समाद्धियो के रूप में समाज में मान्यता है व उनमे अपनी धार्मिक आस्था रखते है। श्रीमानजी द्वारा 23.05.2025 को स्थगन प्रार्थना–पत्र जारी किया गया है की गैरमुमकिन शमशान दर्ज में किसी भी प्रकार कब्जा या निर्माण कार्य अथवा मदाखलत बेजा ना किया जावे एंव यथास्थिति बनाई रखी जावे जिससे प्रार्थी रविनाथ द्वारा शमशान भूमि पर दाहसंस्कार नही करने दिया जा रहा एंव दिनांक 13.06.2025 को श्योलाल पुत्र पतराम मेघवाल का स्वर्गवास होने पर शमशान भूमि पर दाहसंस्कार करने हेतू 12 बजे लकडीया डाली तो रविनाथ चेला छोटूनाथ ने आकर कहा की यह भूमि मेरे नाम दर्ज है सलिए इस स्थान पर आपको दाहसंस्कार नही करने दूंगा एवं दाहसंस्कार के लिए मना कर दिया परन्तु समाज के सदस्यो व अन्य दाहसंस्कार में आये लोगो ने दाहसंस्कार करने का निर्णय लिया। उसके बाद रविनाथ ने कहा की मेने उपखण्डाधिकारी नोहर से आपकी शमशान भूमि पर स्थगन आदेश पारित करवाया हुआ है मैं आपको आपकी शमशान भूमि पर दाहसंस्कार नही करने दूंगा। र्यालय नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा कमांक/निर्माण/विकास 2024–25/4314 दिनांक 06.03.2025 की निविदा सूचना संख्या 17/2024–25 में पत्र क्रमांक संख्या 4 पर मेघवाल समाज कल्याण भूमि की [illegible]री के निर्माण कार्य करने के लिये 24.92

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:24:29 IST
Reason: SelfAttested

उप. अधिकारी
नोहर

लाख रूपये का वर्क ऑर्डर जारी किया जाना प्रस्तावित है इसलिए इस स्थगन से शमशान भूमि का निर्माण कार्य बाधित हो गया है ओर समाज के मृत व्यक्ति को दाहसंस्कार के लिये पूरा समाज असमजस की स्थिति में है व अपने पूर्वजो की समाद्धियो पर रस्म पूरी करने से रोका जाकर धार्मिक आस्था को बाधित किया जा रहा है इसलिए इसे अतिशीघ्र न्यायहित में स्थगन आदेश निरस्त फरमावे जो की मनगढत कहानी रचकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर एक तरफा स्थगन आदेश जारी करवाया है जो की क़ाबिले खारिज है।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जवाब प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बावत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि रोही मौजा चक जोगीआसन तहसील नोहर के खाता सं. 53 की 10 बिस्वा ख.न. 54 की 8 बिस्वा कुल 8 बिस्वा भूमि जो साबिका ख.न. 27 मीन से तब्दील व पैमुद हुई है। उक्त भूमि सायल के गुरू व मीरूसान छोदुनाथ चेला पीर नवलनाथ के नाम से पूर्व में दर्ज रही तथा इससे पूर्व उनके गुरू पीर नवलनाथ चेला पीर अरजननाथ व पूरननाथ चेला नेमनाथ की नाम दर्ज रही है। अर्थात सायल के पूर्वजो की अर्जित भूमि है जिसमें साबिका ख.न. 27 मीन की 18 बिस्वा भूमि रोही मौजा चक जोगीआसन में स्थित थी परन्तु भू–प्रबन्धक विभाग गत पैमाईश में उक्त भूमि के हाल ख.न. 54 की 8 बिस्वा भूमि गै.मु. श्मशान के नाम दर्ज कर दी तथा ख.न. 53 की 10 बिस्वा मोडिया वल्द रावता कौम रेगर के नाम दर्ज कर दी जबकि भू–प्रबन्धक विभाग को केवल पुरानी प्रविष्टी का ही इन्द्राजात किया जाना था भू–प्रबन्धक विभाग को उक्त इन्द्राजात को तस्दीक किये जाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। चूंकि ख.न. 53 की 0.1270 हैक्टर भूमि सेटलमेन्ट विभाग सें अपने नाम अनुचित तरीके से दर्ज करवा ली जिसका नाम बाद में कलमजन क़रके गै.मु. शमशान दर्ज कर दिया। जबकि वाद भूमि सायल की पैतृक भूमि है तथा हिन्दु मुश्तरका खानदान की जददी जायदाद है जिसका सायल अकेला खातेदार काश्तकार है। जबकि पत्रावली में प्रस्तुत जमाबंदी के अनुसार वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी के नाम दर्ज नही है। जबकि मेघवाल समाज कल्याण भूमि जरिये अध्यक्ष सुभाष पुत्र रामलाल जाति मेघवाल निवासी नोहर ने क़थन किया की शमशान भूमि में मेघवाल समाज व अन्य समाज के लोग अपने पूर्वजो का दाहसंस्कार करते चले आ रहे जिसमें पूरानी समाद्धियो का पक्का निर्माण हुआ है ओर जिसपर सेकडो वर्षो से र्निबाधित रूप से दाहसंस्कार करते चले आ रहे है कार्यालय नगरपालिका नोहर जिला हनुमानगढ द्वारा कमांक/निर्माण/विकास 2024–25/4314 दिनांक 06.03.2025 की निविदा सुचना संख्या 17/2024–25 में पत्र क्रमांक संख्या 4 पर मेघवाल समाज कल्याण भूमि की चार [illegible] के निर्माण कार्य करने के लिये 24.92 लाख रूपये का वर्क ऑर्डर जारी किया [illegible] इस स्थगन से शमशान भूमि

Signature Not Verified
Digitally signed by Pankaj Gaur
Date: 2025.07.16 18:24:29 IST
Reason: SelfAttested

का निर्माण कार्य बाधित हो गया है ओर समाज के मृत व्यक्ति को दाहसंस्कार के लिये पूरा समाज असमजस की स्थिति में है व अपने पूर्वजो की समाधियो पर रस्म पूरी करने से रोका जाकर धार्मिक आस्था को बाधित किया जा रहा है इसलिए इसे अतिशीघ्र न्यायहित में स्थगन आदेश निरस्त फरमावे जो की मनगढत कहानी रचकर गलत शपथ–पत्र के आधार पर एक तरफा स्थगन आदेश जारी करवाया है जो की काबिले खारिज है। अप्रार्थीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में फोटोप्रति पेश की गई है। उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थी के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 23.05.2025 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा एवं प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 09/07/2025 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Pankaj Garhwal
Date: 2025.07.16 18:24:29 IST
Reason: SelfAttested